



ALL INDIA BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED EXECUTIVES' ASSOCIATION

RAJASTHAN CIRCLE, JAIPUR

25, Mahaveer Colony Extn.
Near Bhagawati Nagar - II
Kartarpura, Jaipur - 302006.

(Registration No. S-44528 of 2002)
Visit us at <http://www.aibsnlearaj.org>

Ph. Off. 0141-2361183
Mob.: +919413395858
Em: aibsnlearaj@gmail.com

Circle President

Anil Kumar Rawat
9414001146(M)

Email: rawatak30@gmail.com

Circle Secretary

Mahendra K. Morodia
9413395858(M)

Email: aibsnlearaj@gmail.com

Financial Secretary

Satya Prakash Gupta
9414001069(M)

Email: satyanidhigupta@gmail.com

No.: AIBSNLEA/RAJ/FWD/2017-20/37

Dated:- 08-02-2018

To,

Shri O.P.Gupta

CGMT Raj.

Sardar Patel Marg,
Jaipur-302008

Sub: Unauthorised modification in BSNL MRS Scheme by local Admin wing: regarding

Ref: Order issued by AGM (Admin.) CO no. AO(Estt.)/BSNL/16-17/Or/Indoor Medical/4,
dt. 08-05-2017

Respected Sir,

We would like to draw your kind attention towards Unauthorised modification in BSNL MRS Scheme by local Admin wing vide letter no. AO(Estt.)/BSNL/16-17/Or/Indoor Medical/4, dt. 08-05-2017. The issued order is clear violation of MRS Policy of BSNL Corp Office which is duly approved by BSNL Board and harming the interests of Executives. The above mentioned order may pleased be immediately be withdrawn..

We therefore, request to you for kind consideration of the grievance. I am sure that favourable action will be taken accordingly.

With kind regards,

Yours Sincerely

(M.K.Morodia)
Circle Secretary

Encl.:- Order issued by AGM (Admin.) CO no. AO(Estt.)/BSNL/16-17/Or/Indoor
Medical/4, dt. 08-05-2017

Copy to:-

1. Shri Prahlad Rai, GS, AIBSNLEA, New Delhi-110009, for information pl.



कार्यालय आदेश

क्रमांक : AO(Estt.)/BSNL/16-17/Or/Indoor Medical / 4

दिनांक 8-05-2017

प्रायः यह देखा जा रहा है BSNL में कार्यरत/सेवानिवृत्त लाभार्थियों द्वारा गैरमान्यता प्राप्त अस्पताल में इण्डोर उपचार लेने के मामलों में गैरमान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र संलग्न कर दावा मामले माननीय मु.म.प्र.महोदय को अनुमोदन हेतु भेजे जा रहे हैं जिनमें से अधिकतर दावा मामलों में संलग्न डिस्चार्ज टिकिट में वर्णित विवरण (भर्ती के समय रोगी की अवस्था) अनुसार रोगी का उपचार आपातकालीन अवस्था का प्रतीत नहीं होता है।

अतः सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार ये सुचित किया जाता है कि गैरमान्यता प्राप्त अस्पताल में इण्डोर उपचार कराने के मामलों में रोगी के इण्डोर उपचार हेतु आपातकालीन यूनिट (Emergency Unit) में भर्ती (Admit) होने के कागजात संलग्न होने चाहिये तथा Emergency Unit में Admission का जिक्र डिस्चार्ज टिकिट में होना सुनिश्चित करें उसके उपरान्त ही गैरमान्यता प्राप्त अस्पताल में इण्डोर उपचार लेने के मामले BSNL-MRS पोलिसी के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति कर एस.एस.ए. प्रमुख की अनुशंसा से पूर्ण मामला प्राप्त होने पर ही माननीय मु.म.प्र.महोदय द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया जायेंगा। उन्ही मामलो को आपातकालीन मामला माना जायेगा जिनका अस्पताल में Admission उसके Emergency Unit में किया गया है। यह आदेश दिनांक 15.06.2017 से प्रभावी होंगे।

सहायक महाप्रबन्धक [प्रशासन]
दूरभाष : 0141-2379236

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार राजस्थान परिमण्डल, के वरिष्ठ निजी सचिव,
2. सभी एस.एस.ए. प्रमुख राजस्थान परिमण्डल.
3. सभी वरिष्ठ महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अतिरिक्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक परिमण्डल कार्यालय, जयपुर.
4. वं.मुख्य अभियन्ता (विद्युत)/मुख्य अभियन्ता (सिविल)/आर्कीटेक्ट बीएसएनएल, जयपुर.
5. समस्त सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य लेखाधिकारी परिमण्डल कार्यालय, जयपुर.
6. मण्डल अभियन्ता (आर.टी.टी.सी.)/ (सी.टी.एस.डी.) जयपुर
7. लेखाधिकारी (रॉकड) ,परिमण्डल कार्यालय, जयपुर
8. नियंत्रक (सी.सी.ए.) राजस्थान परिमण्डल, जयपुर.
9. मुख्य अनुभाग पर्यवेक्षक। परिमण्डल कार्यालय, जयपुर को नोटिस बोर्ड हेतु।
10. परिमण्डल सचिव, बी.एस.एन.एल.ई.यू. / एन.एफ.टी.ई.-बी.एस.एन.एल. / ए.आई.बी.एस.एन.एल.ई.ए. / एस.एन.ई.ए. / एससी.एसटी. वेलफेयर एसोसिएशन, जयपुर.
11. परिमण्डल सचिव, बीएसएनएल पेशनर्स वेलफेयर एसोसियन, राजस्थान सर्किल, 57, केशव नगर, सिविल लाइन, जयपुर
12. जिला सचिव, बी.एस.एन.एल.ई.यू. / एन.एफ.टी.ई., परिमण्डल कार्यालय, जयपुर.